प्रेस नोट दिनाँक 27.10.2024

थाना चकिया जनपद चंदौली

◆थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा 10.157 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के आदेशानुसार चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान व मादक पदार्थो के तस्करी की रोकथाम के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा गठित टीम ने आज दिनांक 27.10.2024 को लतीफशाह रोड पर दूबेपुर मोड से अभि0गण 1.कलेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रदेव सिंह यादव 2.विकास कुमार पुत्र श्रवण सिंह यादव निवासीगम ग्राम मोहम्मदपुर थाना चैनपुर जनपद कैमूर (भभुआ) बिहार को 10.157 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना चकिया पर मु.अ.सं. 199/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रहा है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग बराबर-बराबर पैसा लगाकर आस पास के गांवो से सस्ते दामों पर खरीदते है और इकट्ठा करके बंडल तैयार करते है,जिनसे खरीदते है उसका नाम पता हम लोगों को मालूम नही है तथा खरीदे हुए गांजा को मिर्जापुर ,चुनार होते हुए इलाहाबाद लेकर जाते है जहां उचे दामों पर बेचते है। जो भी मुनाफा होता है उसे हम लोग आपस मे बराबर बराबर बांट लेते है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण -

1.कलेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रदेव सिंह यादव निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना चैनपुर जनपद कैमूर (भभुआ) बिहार

2.विकास कुमार पुत्र श्रवण सिंह यादव निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना चैनपुर जनपद कैमूर (भभुआ) बिहार

अभियुक्त विकास कुमार अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 199/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2.मु.अ.सं. 160/23 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसंडा जनपद बांदा।

अभियुक्त कलेन्द्र कुमार अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 199/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण–1.10.157 कि0ग्राम अवैध गांजा 2.एक मोटरसाइकिल रजि.नं BR02AG6009 हीरो होन्डा सुपर स्पलेण्डर 3.एक एन्ड्राएड फोन ओप्पो 4.एक मोबाइल कीपैड कम्पनी एसीई

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 सुनील कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता थाना चकिया जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 दीपचन्द्र गिरी थाना चकिया जनपद चन्दौली।

5.हे0का0 जलभरत यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।

थाना बलुआ जनपद चंदौली

❖थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा लूट के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक डा0 आशीष कुमार मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 26.10.2024 को थाना बलुआ पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 -131/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 -133/2024 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विकास यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी ग्राम कैथा उर्फ टडिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को गिरफ्तार कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण घटनाः– दिनांक 14/8/2024 को मु0अ0सं0- 131/2024 धारा 3/5A/8/5 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशुओं प्रति क्रू0 निवा0 अधि0 तथा 4/25 आयुध अधि0 में बरामद 09 राशि गोवंश व दो वाहन क्रमशः टाटा ऐश गोल्ड वाहन सं0 UP65KT7612 व बोलेरो पिकअप वाहन सं UP65 PT 3472 के साथ 02 अभियुक्तगण 1.अखिलेश यादव पुत्र जयनाथ यादव नि0 चिटको थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 2.दिवाकर कनौजिया पुत्र बाबूनाथ कनौजिया नि0 सिटकी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को गिरफ्तार किया गया था। देर शाम पशुओ के चारा पानी की व्यवस्था न हो पाने के कारण हे0मु0 द्वारा पशुओं को नियमानुसार दाखिल करने हेतु थाना बलुआ अन्तर्गत पडने वाले गो आश्रम गृह स्वामी से वार्ता की गयी। गो आश्रम संचालक द्वारा पशुओ को पपौरा गृह आश्रम (पशु/गौ) तक ले जाने हेतु समुचित वाहन का इन्तजाम न हो पाने पर थाना हाजा के हे0मु0 से वार्ता कर वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिस पर हे0मु0 द्वारा वाहन की तलाश की गयी परन्तु समुचित वाहन न मिल पाने पर पशुओ को भूखा प्यासा देख बरामद वाहन बोलेरो पिकप वाहन संख्या UP65PT3472 से ही गो आश्रम से आये तीन व्यक्ति व थाना बलुआ के पीआरडी प्यारे लाल के साथ तीन राशि गोवंश को नियमानुसार गोशाला मे दाखिल करने हेतु भेजा गया। जहा रास्ते मे मथेला पुल के सामने कुछ लोग दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहन से आकर गोशाला ले जाये जा रहे (03) राशि गोवंश सहित माल मुकदमाती पिकप वाहन सं0- UP65PT3472 से गोशाला के कर्मचारी व PRD उपरोक्त को वाहन से बलपूर्वक उताकर समय करीब 21.45 बजे वाहन व गोवंश लूट ले गये। जिस पर दिनांक 15.08.2024 समय 17.15 बजे मु0अ0सं0- 133/24 धारा 221/132/309(4) BNS पंजीकृत किया गया। जिसमें दिनांक 18.08.2024 को समय करीब 04.40 बजे बलुआ तिराहा वहद ग्राम सराय से अभियुक्तगण अभियुक्तगण 1. अजीत कुमार पुत्र स्व0 बनारसी राम नि0 अमौली थाना चौबेपुर उम्र करीब 24 वर्ष 2. अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र जयनरायण यादव नि0 पिछवारी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 25 वर्ष 3. हर्ष यादव उर्फ गोलू पुत्र बब्बू यादव नि0 जाल्हूपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष 4. शिवकुमार गुप्ता पुत्र जयनाथ गुप्ता नि0 कमौली थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष 5. कवि शंकर उर्फ बाबू पुत्र महेश प्रसाद यादव नि0 शंकरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष 6. विशाल उर्फ अलगू पुत्र दिनेश यादव नि0 शंकरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष को मय मु0अ0सं0- 133/24 में लूटी गयी पिकप वाहन सं0- UP65PT3472 व घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजायर वाहन संख्या UP65EN2526 व एक स्कार्पियो वाहन सं0- UP65EE8555 व 06 एंड्रायड मोबाइल व 01 कीपैड मोबाइल, 02 एसबीआई एटीएम कार्ड व 01 ग्रीन कार्ड के गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.विकास यादव उपरोक्त 2.अभिषेक यादव उर्फ गोलू उपरोक्त 3.विशाल यादव उर्फ अलगु उपरोक्त 4.कविशंकर उर्फ बाबू यादव उपरोक्त 5.राम जगी यादव उर्फ जग्गू उपरोक्त 6.हर्ष यादव उर्फ गोलू उपरोक्त 7.आयुष यादव उर्फ रवि यादव उपरोक्त 8.अनिल यादव उपरोक्त 9.शिवकुमार गुप्ता उपरोक्त व 10. विकास यादव का नाम प्रकाश में आया। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4) बीएनएस को धारा 310(2) बीएनएस में परिवर्तित करते हुए धारा 61(2)/317 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। जिसमें अभियुक्त विकास यादव को दिनांक 26.10.2024 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1.विकास यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी ग्राम कैथा उर्फ टडिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1.मु0अ0सं0 -133/2024 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बी0एन0एस0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 131/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट व धारा 61(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक डा0 आशीष कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.व0उ0नि0 शैलेश कुमार यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह चौ0प्र0 महुअरकला थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4.उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौ0प्र0 कैलावर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर थाना चंदौली

◆थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 योद्धा पिकअप से क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 04 राशि गोवंश के साथ 01अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चंदौली:- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली व आशुतोष क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 25.10.2024 को पचफेड़वा अन्डर पास पुल के पास चेकिंग के दौरान बाद 01 योद्धा पिकअप आता हुआ दिखाई दिया कि पुलिस को देखकर उक्त पिकअप का ड्राईवर वाहन को रोककर उतर भागना चाहा कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उक्त पिअकप वाहन संख्या UP 62CT 1568 को को चेक किया गया गया तो 04 गोवंश को कूरतापूर्वक बाँधा गया था जिनको वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल को ले जाया जा रहा। गिरफ्तार अभियुक्त से की पहचान नाम इबरान पुत्र परफुलर निवासी ग्राम बनीडीह थाना रामपुर जनपद जौनपुर उम्र करीव 24 वर्ष के रुप में हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 287/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ अभियुक्तगण- पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि इस योद्धा पिकप मे गोवंश लदे है जिन्हे कटौना रामपुर से लाद कर वाराणसी से होते हुए बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जा रहे थे। जहां उचे दामों पर बेचते है। जिससे हमें अच्छा मुनाफा होता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.इबरान पुत्र परफुलर निवासी ग्राम बनीडीह थाना रामपुर जनपद जौनपुर उम्र करीव 24 वर्ष

बरामदगी- 04 राशि गोवंश व 01 योद्धा पिकप वाहन संख्या UP 62CT 1568

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 राजेश कुमार राय अलीनगर जनपद चन्दौली

3.हे0का0 नन्द लाल यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

◆थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चोरी की 02 एसी, एक इन्वर्टर बैटरी, 04 टोटो बैटरी, तीन मोबाइल, एक जोड़ी सफेद धातु पायल, एक पीली धातु मंगलसूत्र, एक पीली धातु अंगूठी व एक सीज शुदा ऑटो वाहन के साथ 05 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चंदौली :- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक श्री विनय कुमार सिह एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर श्री आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय श्री विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चोरी के सामान की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रात्रि गस्त /चेकिंग मे ब्यासपुर चौराहे पर संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग किया जा रहा था कि चेकिंग के दौरान व्यासपुर चौराहा से एक स्प्लिट एसी वोल्टास, एक स्प्लिट एसी आउटर वोल्टास, एक स्प्लिट एसी डाइकिन, एक आउटर डाइकिन एसी ,एक इन्वर्टर बैटरी OKAYA,04 टोटो बैटरी ईस्ट मैन, तीन मोबाइल , एक जोड़ी सफेद धातु पायल, एक पीली धातु मंगलसूत्र, एक पीली धातु अंगूठी सील सर्व मुहर व जामा तलासी का 2145 रुपए नगद चीटबन्दी शुदा व एक सीज शुदा ऑटो वाहन संख्या UP 65 HT 1438 के साथ अभियुक्तगण 1. विनोद सोनकर पुत्र स्व.प्यारेलाल सोनकर, निवासी ग्राम चांदी तारा थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 26 वर्ष, 2. करन पटेल पुत्र बहादुर पटेल निवासी ग्राम व्यासपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 20 वर्ष 3. बाबू नट पुत्र मजीद नट निवासी ग्राम चांदी तारा थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 19 वर्ष 4. रोशन राज उर्फ लक्कड़ उर्फ लवली पुत्र पारस निवासी ग्राम व्यासपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 20 वर्ष 5. अनंत नारायण गुप्ता उर्फ भंटू पूत्र श्री राम उर्फ सीरी निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 19 वर्ष को आज दिनांक 27.10.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्तगण उपरोक्त का नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त विनोद सोनकर पुत्र स्व.प्यारेलाल सोनकर, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चांदी तारा थाना अलीनगर जनपद चंदौली ने बताया कि यह गहना हम पांचों ने मिलकर एक महीना पूर्व सोनू पटेल पुत्र स्व.जयश्रीराम पटेल निवासी चांदीतारा थाना अलीनगर जनपद चंदौली के घर से चुराया था, दूसरे ने अपना नाम करन पटेल पुत्र बहादुर पटेल निवासी ग्राम व्यासपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 20 वर्ष से एक विवो मोबाइल रंग गोल्ड बरामद हुआ तीसरे ने अपना नाम बाबू नट पुत्र मजीद नट निवासी ग्राम चांदी तारा थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 19 वर्ष से एक मोबाइल जिस पर पीछे बाघ व तिरंगे का स्टीकर लगा हुआ बरामद हुआ चौथे ने अपना नाम रोशन राज उर्फ लक्कड़ उर्फ लवली पुत्र पारस निवासी ग्राम व्यासपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 20 से 400 रुपए बरामद हुआ। तथा पांचवे ने अपना नाम अनंत नारायण गुप्ता उर्फ भंटू पूत्र श्री राम उर्फ सीरी निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 19 वर्ष से 500 रुपए बरामद हुए ऑटो में रखे सामान के बारे में पूछा तो बताया कि हम लोग सवारी वाहन का इंतजार कर रहे थे ताकि ऑटो का कुछ सामान व हम में से 03 लोग सवारी वाहन में बैठकर वाराणसी पहुंच जाए व बाकी 2 लोग इसी ऑटो में बैठकर वाराणसी पहुंचे ताकि रास्ते में किसीको कोई संदेह न हो कि आप लोगो द्वारा पकड लिया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

1.विनोद सोनकर पुत्र स्व.प्यारेलाल सोनकर, निवासी ग्राम चांदी तारा थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 26 वर्ष

2.करन पटेल पुत्र बहादुर पटेल निवासी ग्राम व्यासपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 20 वर्ष

3.बाबू नट पुत्र मजीद नट निवासी ग्राम चांदी तारा थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 19 वर्ष

4.रोशन राज उर्फ लक्कड़ उर्फ लवली पुत्र पारस निवासी ग्राम व्यासपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 20 वर्ष 5. अनंत नारायण गुप्ता उर्फ भंटू पूत्र श्री राम उर्फ सीरी निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.विनोद सोनकर पुत्र स्व.प्यारेलाल सोनकर, निवासी ग्राम चांदी तारा थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 26 वर्ष

1.मु0अ0सं0 123/23 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना अलीनगर चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 444/24 धारा 131(4)/305/317(2) BNS

3.मु0अ0सं0 445/24 धारा 305/317(2) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

2.करन पटेल पुत्र बहादुर पटेल निवासी ग्राम व्यासपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 20 वर्ष

1मु0अ0सं0- 444/24 धारा 131(4)/305/317(2) BNS

2.मु0अ0सं0 445/24 धारा 305/317(2) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

3.बाबू नट पुत्र मजीद नट निवासी ग्राम चांदी तारा थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 19 वर्ष

1मु0अ0सं0- 444/24 धारा 131(4)/305/317(2) BNS

2.मु0अ0सं0 445/24 धारा 305/317(2) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

4.रोशन राज उर्फ लक्कड़ उर्फ लवली पुत्र पारस निवासी ग्राम व्यासपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 20 वर्ष

1मु0अ0सं0- 444/24 धारा 131(4)/305/317(2) BNS

2.मु0अ0सं0 445/24 धारा 305/317(2) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

5.अनंत नारायण गुप्ता उर्फ भंटू पूत्र श्री राम उर्फ सीरी निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 19 वर्ष

1मु0अ0सं0- 444/24 धारा 131(4)/305/317(2) BNS

2.मु0अ0सं0 445/24 धारा 305/317(2) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

बरामदगी विवरण- एक स्प्लिट एसी वोल्टास, एक स्प्लिट एसी आउटर वोल्टास, एक स्प्लिट एसी डाइकिन, एक आउटर डाइकिन एसी ,एक इन्वर्टर बैटरी OKAYA,04 टोटो बैटरी ईस्ट मैन, तीन मोबाइल , एक जोड़ी सफेद धातु पायल, एक पीली धातु मंगलसूत्र, एक पीली धातु अंगूठी सील सर्व मुहर व जामा तलासी का 2145 रुपए नगद चीटबन्दी शुदा व एक सीज शुदा ऑटो वाहन संख्या UP 65 HT 1438 ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम मुगलसराय-

1.प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

2.उ0नि0 अभिषेक शुक्ला चौकी प्रभारी जलीलपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

3.हे0का0 विनोद सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

4.हे0का0अतुल सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

5.हे0का0अनिल अंचल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

6.हे0 का0रजनीश राय थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

7.हे0का0 विवेकानंद सिंह बघेल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

8.हे0का0गौरव सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।